

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

(1970 के संसदीय अधिनियम संख्या 16 द्वारा संस्थापित)

विज्ञप्ति

शिक्षुक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षुओं का चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षुक अधिनियम, 1961 के अनुसार देय होगा। शिक्षुओं का विवरण ट्रेड वाईज निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Apprentices Trade	No. of Apprentices	Sr. No.	Apprentices Trade	No. of Apprentices
1.	Carpenter	22	15.	Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic	7
2.	Computer Operator and Programming Assistant (COPA)	54	16.	Sewing Technology (Tailor (General))	3
3.	Draughtsman (Civil)	3	17.	Stenographer (English)	48
4.	Dress Making (Dress Maker)	2	18.	Stenographer (Hindi)	19
5.	Electrician	63	19.	Surveyor	4
6.	Fitter	18	20.	Turner	1
7.	Food Production (General)	4	21.	Welder or Welder (Gas & Electrical)	16
8.	Interior Design & Decoration	2	22.	Housekeeper	2
9.	Mechanic (Motor Vehicle)	1	22.	Front office Assistant	1
10.	Mechanic (Tractor)	7	23.	Soil Testing & Crop Technician	4
11.	Mechanic Agricultural Machinery	11	24.	Catering & Hospitality Asstt.	2
12.	Mechanic Diesel	16	25.	Mason	1
13.	Painter General	25		Total:	382
14.	Plumber	46			

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट (apprenticeshipindia.org) पर दिनांक 21.02.2024 से 29.02.2024 को दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं., आई.डी. (केवल वोटर कार्ड, डी.एल., पासपोर्ट), मैट्रिक प्रमाण पत्र व आई.टी.आई. विभाग द्वारा जारी आई.टी.आई. पास का मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करें। कृपया अपनी शिक्षुता प्रोफाइल को 100% पूर्ण करें, अन्यथा इस के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिस उम्मीदवार द्वारा दिनांक 21.02.2024 से पहले या दिनांक 29.02.2024 के बाद ऑनलाइन आवेदन किया है, वे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। उम्मीदवार को कार्यालय में कोई हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सफल शिक्षुओं का चयन आई.टी.आई. मार्कशीट अंकों के अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा। उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करले कि उस द्वारा पूर्व में किसी भी व्यवसाय (ट्रेड) में शिक्षुता ग्रहण नहीं की हो। यदि वह ऐसा किया पाया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है।

नियंत्रण अधिकारी (Apprentices)
सी.सी.एस.एच.ए.यू.,